अ+19 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादीगण की ओर से एडवोकेट श्री डी.सी.सिंह उपाध्याय द्वारा ज्ञापन पेश किया को श्री.पी.मिश्रा गया. वकील वादीगण द्वारा पत्रा. में साक्ष्य बाकी नहीं गये हैं। साक्ष्य बाकी कराने हेतु अवसर न्याय दिया जाकर मिसल वास्ते साक्ष्य बाकी दिनांक 5/3/19 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना

5-3-19

पत्रावली पेश हुई। बार संघ द्वारा हड़ताल/शोकसभा/
न्यायिक पैरवी कार्य स्थगित रखा गया है। पीठासीन आज्ञा से
अधिकारी महोदय चुनाव/अन्य राजस्व कार्य
भ्रमण/अवकाश में पधारने से पत्रावली रीडर
दिनांक 2/4/19 को पेश हो। सहायक कलेक्टर मनोहरथाना

2-4-19

पत्रावली पेश हुई। बार संघ द्वारा हड़ताल/शोकसभा/
न्यायिक पैरवी कार्य स्थगित रखा गया है। पीठासीन आज्ञा से
अधिकारी महोदय चुनाव/अन्य राजस्व कार्य
भ्रमण/अवकाश में पधारने से पत्रावली रीडर
दिनांक 30-4-19 को पेश हो। सहायक कलेक्टर मनोहरथाना

30/4/19

पत्रावली पेश हुई। बार संघ द्वारा हड़ताल/शोकसभा/
न्यायिक पैरवी कार्य स्थगित रखा गया है। पीठासीन आज्ञा से
अधिकारी महोदय चुनाव/अन्य राजस्व कार्य
भ्रमण/अवकाश में पधारने से पत्रावली रीडर
दिनांक 4/6/19 को पेश हो। सहायक कलेक्टर मनोहरथाना

4-6-19

पत्रावली पेश हुई। बार संघ द्वारा हड़ताल/शोकसभा/
न्यायिक पैरवी कार्य स्थगित रखा गया है। पीठासीन आज्ञा से
अधिकारी महोदय चुनाव/अन्य राजस्व कार्य
भ्रमण/अवकाश में पधारने से पत्रावली रीडर
दिनांक 2/7/19 को पेश हो। सहायक कलेक्टर मनोहरथाना

2-7-19 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्ष उप. / पत्रावली वास्ते साक्ष्य बाकी दिनांक 18-7-19 से पेश हो।

18/7/19

पत्रावली पेश हुई। बार संघ द्वारा हड़ताल/शोकसभा/
न्यायिक पैरवी कार्य स्थगित रखा गया है। पीठासीन आज्ञा से
अधिकारी महोदय चुनाव/अन्य राजस्व कार्य
भ्रमण/अवकाश में पधारने से पत्रावली रीडर
दिनांक 22/8/19 को पेश हो। सहायक कलेक्टर मनोहरथाना

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना, जिला झालावाड़

22/8/19 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व वादी अनुपस्थित पत्रावली में कई बार अवसर दिलाने के पश्चात अपने बहाने अपने पैरवी खारिज किजाती है।

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना